रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249983 CG-DL-E-09112023-249983

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4677]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

No. 4677]

## श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

का.आ. 4879(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और समान गैसों) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों की ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 29 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस समान गैसें) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2017-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

7079 GI/2023 (1)

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2023

**S.O. 4879(E).**— Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in the 'processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like)' which is covered under item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the services engaged in the 'processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like)' to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/2/2017-IR(PL)] DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.